

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला-श्रीगंगानगर  
लूणाराम पुत्र घूघराराम जाति लुहार निवासी देईदासपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

बनाम

राजस्थान सरकार व अन्य

किस्म मुकदमा:-धारा 136 भूराजस्व अधिनियम

प्रकरण संख्या:-146/2023

G.C.M.S:- 2023/130

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
04.07.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ग्राम देईदासपुरा तहसील का स्थाई निवासी है। प्रार्थी का राशनकार्ड, वोटरलिस्ट, आधारकार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड ग्राम देईदासपुरा के बने हुये हैं। जिनकी फोटो प्रति शामिल पत्रावली हैं। प्रार्थी के नाम से तहसील सूरतगढ के ग्राम करडू खाता नं0 389/375 ख0न0 632/10.724 है0, ख0न0 651/6.905 है0, ख0न0 817/632/5.299 है0 कुल 22.928 है0 बारानी दायम खातेदारी भूमि जमाबंदी पटवार वाके दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071 ग्राम करडू खाता नं0 389/375 की प्रमाणित प्रतिलिपि शामिल पत्रावली हैं। उपरोक्त दर्ज राजस्व रिकार्ड भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम घूघराराम के स्थान पर घूघरिया दर्ज कर दिया गया हैं। जबकि राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम घूघराराम दर्ज हैं। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम घूघरिया व पहचान के दस्तावेजों में नाम घूघराराम दर्ज होने के कारण प्रार्थी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है एवं फसल नष्ट होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री कृषक पेंशन योजना के लाभ से भी प्रार्थी वंचित हो रहा है एवं समाजिक स्तर पर भी पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में घूघरिया होने के कारण शर्मिन्दा होना पड़ रहा है। प्रार्थी द्वारा अपने पिता का नाम दुरुस्त करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार सूरतगढ के समक्ष दिनांक 08.06.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दिनांक 20.06.2023 द्वारा रिपोर्ट की जाकर नाम दुरुस्त करने की अनुशंषा पटवारी हल्का द्वारा किये जाने पर भी तहसीलदार सूरतगढ द्वारा मौखिक रूप से मूल दस्तावेज प्रार्थी को सौंपकर नाम दुरुस्त हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने हेतु कहा। प्रार्थना पत्र मय पटवारी रिपोर्ट दिनांक 20.06.2023 शामिल पत्रावली हैं। प्रार्थी के पिता का सही नाम घूघराराम हैं। घूघरिया नाम का कोई व्यक्ति ग्राम देईदासपुरा में निवास नहीं करता है। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा भी प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त करने हेतु अनुशंषा की जा चुका हैं। प्रमाण पत्र कार्यलय ग्राम पंचायत देईदासपुरा शामिल पत्रावली हैं। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड तहसील सूरतगढ के तहसील सूरतगढ के ग्राम करडू खाता नं0 389/375 ख0न0 632/10.724 है0, ख0न0 651/6.905 है0, ख0न0 817/632/5.299 है0 कुल 22.928 है0 बारानी दायम खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी अपने पिता का नाम घूघरिया के स्थान पर घूघराराम दर्ज करवाना चाहता हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।</p> <p>बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व रिपोर्ट तहसीलदार का अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज बैयनामा, जमाबन्दी, आवेदन पत्र, शपथ पत्र, पहचान के दस्तावेज, सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा पूर्ण जांच करने के पश्चात् अपने द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त करने की अनुशंषा की हैं एवं राज्य सरकार के परिपत्र प0क0:-4(1)राज-6/2002/19 जयपुर दिनांक 18.06.2007 द्वारा भी सम्मान सूचक नाम नहीं होने पर नाम दुरुस्त करने हेतु समस्त तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी को अधिकृत किया गया हैं। अतः राज्य सरकार के परिपत्र को ध्यान में रखते हुये एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर कोई विपरीत साक्ष्य नहीं आने पर हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायहित में स्वीकार करना उचित समझते हैं।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता हैं कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम करडू खाता नं0 389/375 ख0न0 632/10.724 है0, ख0न0 651/6.905 है0, ख0न0 817/632/5.299 है0 कुल 22.928 है0 बारानी दायम खातेदारी भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम संशोधित कर लूणाराम पुत्र घूघरिया के स्थान पर लूणाराम पुत्र घूघराराम दर्ज किया जावे। जमाबन्दी के शेष समस्त अंकन पूर्ववत रहेंगे। तहसीलदार सूरतगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर फरमाई जावे।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p>	



उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ (राज.)



4274  
08.07.2025